न्यायालय ए0सी0जे0एम0 / षष्टम अपर सीनियर सिविल जज, देहरादून।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0 – 597 / 2026

राज्य बनाम पार्थ जैन

मु0अ0सं0–14 / 2026
अन्तर्गत धारा–117(2), 324(4), 333 बी.एन.एस
थाना रायपुर, देहरादून।

<u>दिनांक–23.06.2026</u>

प्रार्थी / अभियुक्त पार्थ जैन पुत्र मनोज जैन द्वारा अन्तर्गत धारा 117(2), 324(4), 333 बी.एन.एस के मामले में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को औपचारिक रूप से अभिरक्षा में लिया गया।

2. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उस पर लगाये गये अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिये गये पते का स्थायी निवासी है। अभियुक्त पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है। अतः अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी व मैनेजर के साथ गाली गलौच करते हुए उनके साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी और दुकान पर जाकर तोड फोड की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना विचाराधीन है।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत आक्षेप है कि उनके द्वारा वादी की दुकान में घुसकर वादी व उसके मैनेजर के साथ गाली–गलौच, मारपीट की गयी तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अधिकतम 7 वर्ष के कारावास से दण्डनीय है तथा मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले की प्रकृति एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई राय न प्रकट करते हुये, वर्तमान परिस्थितियों में अभियुक्त को दौराने वाद जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त पार्थ जैन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 117(2), 324(4), 333 बी.एन.एस स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 30,000 / – रूपये (तीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(प्रभारी)
ए0सी0जे0एम0 / षष्टम अपर सिविल जज(सी0डि0),
देहरादून।